

DIPLOMA IN PARALEGAL PRACTICE (DIPP)

Term-End Examination

December, 2016 00232

BLE-003 : LAW AND VULNERABLE GROUPS

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

Note : This question paper has been divided into three parts. Part - A, Part - B and Part - C. All the parts are compulsory.

PART - A

Attempt **any two** of the following questions in about **600** words. Each question carries **20** marks.

2x20=40

1. What do you understand by the term "Domestic Violence" ? Discuss the various remedies available to the victims of domestic violence.
2. Critically analyse the provisions of the persons with disabilities (equal opportunities, protection of Rights and full participation) Act 1995 relating to education, employment and accessibility.
3. Examine the reasons for the persistent continuation of the practice of manual scavenging despite the existence of the employment of Manual Scavengers and construction of Dry Latrines (prohibition) Act, 1993.

4. Discuss the salient features of the Mental Health Act, 1987.

PART - B

Attempt **any four** of the following questions in about **300** words. Each question carries **10** marks.

4x10=40

1. Discuss the law relating to prohibition of dowry in India.
2. Discuss the factors that make women more vulnerable to HIV - AIDS as compared to men.
3. What is meant by "Child labour" ? Explain with the help of landmark judgements.
4. What are the preventive and precautionary measures that have to be taken by the State Government to check atrocities against SC/ST communities ?
5. Write a note on the Right of children to free and compulsory education act, 2009.
6. Write a note on inorganized workers.

PART - C

Attempt **any four** of the following questions in about **150** words. Each question carries **5** marks.

4x5=20

1. Duties and Responsibilities of employer with respect to sexual harassment.

2. Child Labour Policy in India.
 3. Scheduled Castes and Scheduled Tribes protection cell.
 4. Women and HIV-AIDS.
 5. Principles laid down in the convention on the Rights of persons with Disabilities, 2006.
 6. Protection of Civil Rights Act, 1955.
-

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2016

बी.एल.ई.-003 : विधि और संवेदनशील समूह

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : इस प्रश्न-पत्र को तीन भागों - भाग-क, भाग-ख, भाग-ग में विभक्त किया गया है। सभी भाग अनिवार्य हैं।

भाग - क

निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक का लगभग 600 शब्दों में) दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

2x20=40

1. 'घरेलू हिंसा' से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा के पीड़ितों को उपलब्ध विभिन्न उपचारों की चर्चा कीजिए।
2. शिक्षा, रोजगार और सुलभता से संबंधित विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
3. सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय संनिर्माण (प्रतिनिषेध) अधिनियम, 1993 होने के बावजूद सफाई कार्य की प्रथा के लगातार जारी रहने के कारणों की विवेचना कीजिए।
4. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

भाग - ख

निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** प्रश्नों का उत्तर (प्रत्येक का लगभग 300 शब्दों में) दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

4x10=40

1. भारत में दहेज के निषेध से संबंधित कानून की चर्चा कीजिए।
2. उन कारकों की चर्चा कीजिए जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को एच आई वी - एड्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं।
3. 'बाल श्रम' से क्या अभिप्राय है? ऐतिहासिक निर्णयों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
4. अनु.जाति/अनु.जनजाति समुदायों पर अत्याचारों को रोकने/करने के लिए राज्य सरकारों को कौन से रोकथाम और एहतियात संबंधी विभिन्न उपाय करने चाहिए?
5. निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों पर टिप्पणी लिखिए।
6. 'असंगठित श्रमिक' पर टिप्पणी लिखिए।

भाग - ग

निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में) दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

4x5=20

1. यौन उत्पीड़न के संबंध में नियोक्ता के कर्तव्य और दायित्व।
2. भारत में बाल श्रम नीति

3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ ।
 4. महिलाएँ और एच.आई.वी.एड्स ।
 5. विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अभिसमय 2006 में निर्धारित सिद्धांत ।
 6. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 ।
-